DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

'जहां झुग्गी, वहीं मकान' की उम्मीदें चढ़ीं परवान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: इन-सीटू स्लम पुनर्वास यानी 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत दिल्ली में गरीबों को फ्लैट आवंटन की उम्मीदें परवान चढ़ने लगीं हैं। कालकाजी के बाद जेलरवाला बाग के ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी मार्च तक तैयार हो जाएंगे। कठपुतली कालोनी प्रोजेक्ट के फ्लैटों का आवंटन भी दिसंबर तक होने के आसार हैं। उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं में 7,499 फ्लैट बनकर लगभग तैयार हैं।

डीडीए विभिन्न आय वर्गों के लिए आवासीय योजनाएं लाने के साथ-साथ इन सीटू डेवलपमेंट के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने पर फोकस कर रहा है। इसके तहत दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, हैदरपुर एवं रोहिणी के अलग-अलग सेक्टरों की 10 झुग्गी बस्तियों में भी जल्द ईडब्ल्यूएस फ्लैट का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहां 10,337 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनेंगे। वहीं कालकाजी एक्सटेंशन, कुसुमपुर पहाड़ी और ओखला औद्योगिक क्षेत्र की आठ झुग्गी बस्तियों में 15,086 ईडब्लूएस फ्लैट निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन दोनों परियोजनाओं के तहत 18 झुग्गी बस्तियों में कुल 25,423 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनेंगे। इन सीटू डेवलपमेंट के तहत जहां झुग्गी वहां पक्के मकान पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं।

जेलरवाला बाग, अशोक विहार में पूरा होने को है डीडीए के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण कार्य • सौजन्य : डीडीए

कालकाजी ईडब्ल्यूएस परियोजना

3024 फ्लैट इन-सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत अब तक बनाए जा चुके हैं

575 लोगों को नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सौंप चुके हैं चाबी

2449 फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जल्द ही इनकी चाबी सौंपी जा सकती है

जेलरवाला बाग परियोजना

11,129 वर्ग मीटर जमीन होगी नीलाम, फ्लैट आवंटन के बाद

1.71 लाख रुपये तय की गई है इन फ्लैट की कीमत झुग्गीवालों के लिए

30 हजार रुपये पांच वर्ष का रखरखाव शुल्क होगा

1675 फ्लैट मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगे

कठपुतली कालोनी ईडब्ल्यूएस परियोजना

2800 फ्लैटों का आवंटन दिसंबर 2023 तक होने की संभावना

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 12 जनवरी 2023

'स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराएं, वर्ना कटेंगे बिजली-पानी के कनेक्शन'

10 दिन की मोहलत, द्वारका की करीब 100 सोसायटियों को नोटिस

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

एमसीडी ने द्वारका की करीब 100 सोसायटियों को नोटिस भेजे हैं, जिसमें इन पुरानी सोसायटियों को दस दिन के अंदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करवाने के कहा गया है। नोटिस में साफ लिखा है कि ऐसा नहीं करने पर बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इससे पूर्व डीडीए भी द्वारका की सोसायटियों को करीब दो से तीन बार स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट और रेट्रोफिटिंग के नोटिस जारी कर चुका है।

दरअसल राजधानी में पिछले तीन से चार सालों के दौरान कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट का मकसद बिल्डिंगों की मजबूती का पता लगाना है। यह ऑडिट पूरी दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें मार्च-2001 से पहले बनी सभी 15 मीटर व इससे उंची बिल्डिगों के सेफ्टी ऑडिट होने हैं। यह प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड की वजह से काफी धीमी रही।

नोटिस में लिखा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हमें पता चला चला है कि द्वारका की ये सोसायटियां पुरानी हैं और इसी वजह से इसमें शायद रेट्रोफिटिंग की जरूरत हो सकती है। इसी वजह से आपकी सोसायटी को लिस्ट में से किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर संस्थान से यह ऑडिट करवाना है और रिपोर्ट के अनुसार अपना एक्शन प्लान दस दिनों के अंदर एमसीडी को जमा करवाना है। रेट्रोफिटिंग की जरूरत बताई जाती है तो इसे छह महीने के अंदर पूरा किया जाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सोसायटी के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

एमसीडी के नजफगढ़ जोन से मिली जानकारी के अनुसार द्वारका की 100 के करीब सोसायटियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं। 19 जनवरी को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है। इसलिए यह नोटिस अगल-अलग जोन के जरिए पुरानी व ऊंची बिल्डिंगों को दिए जा रहे हैं।

क्यों जरूरी है स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट : सिविल इंजीनियर राजेंद्र गोयल ने बताया कि राजधानी भूकंप के लिहाज से सेस्मिक जोन-4 में है। द्वारका की कई सोसायटियां 20 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में संभावना है कि इन झटकों की वजह से स्ट्रक्चर में कुछ क्रैक आदि आ गए हों। दिल्ली में 2020 से 22 में तीव्र बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से बेसमेंट व अन्य जगहों पर पानी भरा रहा। इसलिए यदि बिल्डिंग 20 साल पुरानी हुई है तो उसका ऑडिट जरूरी है।

2019 में शुरू हुई थी प्रक्रिया, कोरोना की वजह से हो गई थी धीमी

मुश्किलें बढ़ीं

- नोटिस से इन सोसायटियों के रेजिडेंट्स में बैठा हुआ है डर
- डीडीए भी तीन साल में दो से तीन बार भेज चुका है इस तरह का नोटिस
- 15 मीटर या इससे ऊंची इमारतों पर लागू होती है यह शर्त
- बार-बार आ रहे भूकंप के झटकों से इमारत कमजोर होने की रहती है आशंका